न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर (जोधपुर)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कंचन राठौड़, आर.ए.एस.

मु0नं0 56 / 2018

प्रार्थीगण :–

1. किशनाराम पुत्र आदूराम
2. हरिकिशन पुत्र आदूराम
3. भीयाराम पुत्र आदूराम
4. गणपतलाल पुत्र आदूराम
5. अयोध्या देवी पत्नी आदूराम
6. प्रेमराज पुत्र आदूराम सभी कौम ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम बारनाउ तहसील बालेसर जिला जोधपुर
7. ग्राम पंचायत बारनाउ पंचायत समिति सेखाला तहसील बालेसर जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगणः–

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार बालेसर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा.अधिनियम

उपस्थित :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित
2. अप्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित

निर्णय

निर्णय तारीख :– 26.06.2019

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 भू–राजस्व अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैः–

प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि वाके ग्राम बारनाउ पटवार हल्का बारनाउ भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चामू तहसील बालेसर जिला जोधपुर में स्थित खेत खसरा नम्बर 646 रकबा 33 बीघा भूमि आई हुई है। मौके पर प्रार्थीगणों का कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण के पडौसी खेतों की सीमा के कोई भी पक्के मुटाम मौके पर नही है तथा खेतों के बीच पुरानी माठ भी मौके पर मौजूद नही है। खेतों के बीच कोई पक्की माठ व मुटाम नही होने से सभी को अपने–अपने खेतों की सीमा का सही ज्ञान नही है तथा हर समय सीमा को लेकर पडौसी खातेदार प्रार्थीगण को परेशान करते है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सीमा चिन्हों से नाप कर मौके पर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया गय है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली में बहस की गई। बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं अप्रार्थी के जवाब के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त अनवान मुकदमा में सरहद मौजा बारनाउ तहसील बालेसर जिला जोधपुर में स्थित खेत खसरा नम्बर 646 रकबा 33 बीघा भूमि की पैमाईश हेतु तहसीलदार बालेसर को भू मापक आयुक्त नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार बालेसर राजस्व मण्डल राज. अजमेर के नियमानुसार उक्त आराजी वादग्रस्त भूमि की पैमाईश पडौसी खातेदारों को सूचित कर पडौसी खातेदारों के रुबरू सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करें। भू मापक आयुक्त का खर्चा प्रार्थीगण नियमानुसार अदा करें।

आज दिनांक 26.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी।

(कंचन राठौड़)

उपखण्ड अधिकारी,बालेसर

जोधपुर

Scanned by CamScanner